न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 1/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1वासुदेव पुत्र ओमप्रकाश जाति माहेश्वरी निवासी जेठा मार्केट, नागौर। फर्म– बंग ब्रादर्स, जेठा मार्केट, नागौर। 2मै. परफैटी वैन मिली इण्डिया प्रा.लि. Pefetti Van Mele India Pvt. Ltd. ई–419–रोड नं. 17, विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर। 3मै. परफैटी वैन मिली इण्डिया प्रा.लि. Pefetti Van Mele India Pvt. Ltd. 47–माईलस्टोन दिल्ली–जयपुर हाईवे, मानेसर–गुडगांव (हरियाणा)

आदेश

दिनांक : 19.2.20

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 03-03-15 को बंग ब्रादर्स, नागौर पर खाद्य पदार्थ टॉफी (Juzt Jelly Alpenliebe) Guava Flavour में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 735 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 173/एक्ट/2015/183 दिनांक 17.03.15 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना टॉफी (Juzt Jelly Alpenliebe) Guava Flavour सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण वासुदेव पुत्र ओमप्रकाश जाति माहेश्वरी निवासी जेठा मार्केट, नागौर, फर्म–बंग ब्रादर्स, जेठा मार्केट, नागौर, मै. परफैटी वैन मिली इण्डिया प्रा.लि. Perfetti Van Mele India Pvt. Ltd., ई–419–रोड नं. 17, विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर तथा मै. परफैटी वैन मिली इण्डिया प्रा.लि. Perfetti Van Mele India Pvt. Ltd., 47–माइलस्टोन दिल्ली–जयपुर हाईवे, मानेसर–गुडगांव (हरियाणा) ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 08-02-2016 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2, 3 ने अपना जवाब दिनांक 6.4.16 को प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से श्री ठाकुर प्रसाद राठी एडवोकेट ने अपना वकालतनामा दिनांक 10.02.17 को पेश किया।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर द्वारा बताया गया कि जैसा कि खाद्य विश्लेषक जोधपुर की रिपोर्ट अनुसार नमूने के लेबल पर सिन्थेटिक खाद्य कलर (171, 124) का उल्लेख किया गया है। जेली मे अकार्बिनक रंग टाईटेनियम डाई ऑक्साइड (INS No. 171) को मिलाना, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद एवं खाद्य एडिट्विस) रेगूलेशन 2011 के रेगूलेशन नं. 3.1.2 (3) के अन्तर्गत निषिद्व है। जिसके कारण रिपोर्ट अनुसार नमूना सब स्टेण्डर्ड है और यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद एवं खाद्य एडिट्विस) रेगूलेशन 2011 के रेगूलेशन नं. 3.1.2 (3) का उल्लंघन है। खाद्य नमूना सं. 735 खाद्य पदार्थ फूट जेली (Alpenliebe Juzt Jelly) Guava Flavour खाद्य विश्लेषक जोधपुर की रिपोर्ट दिनांक 17.03.2015 के अनुसार अकार्बनिक कलर टाईटेनियम डाई आक्साईड (INS No. 171) जेली मे मिलाना अधीन रेगुलेशन सं. 3.1.2 (3) खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम (Food Product Standara & Food Add) FSSA एक्ट 2006 के उल्लंघन मे आता है। इसलिये ज्यादा से ज्यादा शास्ति से दण्डित किया जाना चाहिये।

4. अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब मे बताया कि प्रार्थी उक्त माल का न तो उत्पादक है और न ही पैंकिगकर्ता है। कम्पनी से सीलबंद माल मंगवाया व बेचा जाता है। उसकी ओर से इसमे किसी प्रकार की कोई मिलावट नही की गई है। प्रकरण से मुक्त किये जाने एवं भविष्य मे कोई गलती नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। जबकि अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से बताया गया कि इस मामले मे कथित उत्पाद एल्पेनलेबे जुजट जेली अमरूद फ्लेवर जो खाद्य पदार्थ मे टाईटेनियम डाइआक्सॉइड रंग के उपयोग के कारण खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट सं. 183 मे घटिया होना माना गया है। यह एक मालिकाना उत्पाद है। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विनियमन 2.12 के तहत परिभाषित किया गया है और एफएसएसए की धारा 22 विनियमन 2011 के अन्तर्गत आता है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा उत्पाद एफएसएसएआई के एडवाईजरी सं. 15025/24/2012 के अनुसार जुजट जेली को

अति. जिला मजिस्ट्रेट नागौर

बाजार मे विनिर्माण व बिक्री के लिये जारी किया था। इस उत्पाद को एफएसएसएआई से एडिटिव्स से उपयोग की मंजूरी दी गई है। एडिटिव टाईटेनियम ऑक्साईड को अन्य मानकीकृत खाद्य श्रेणियो जैसे कि कनफेक्शनरी और चुईंगम / बबलगम मे 10000 पीपीएम तक एफएसएसए एवं विनियमन 2011 के अनुसार उपयोग करने की अनुमति दी गई है। एफएसएसएआई के अनुमोदन दस्तावेज के अनुसार एलपेनलेबे जूजट जेली उत्पाद को भारतीय खाद्य कोड नं. 4.1.2.5 के तहत वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा एफएसएसएआई ने 23.12.15 के नोटिस अनुसार जीएमपी सूची के अनुसार जीएमपी (Good Manufacturing Practice) स्तर तक जेली मे टाईटेनियम ऑक्साईड के उपयोग की भी अनुमति दी गई है। यानि इस योजक के उपयोग की कोई अधिकतम सीमा नही है। इसलिये कार्यवाही बंद की जानी चाहिये। जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस मे हिस्सा लेते हुए बताया गया कि खाद्य पदार्थ का नमूना 04.03.15 को लिया गया था तथा खाद्य विश्लेषक द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 17.3.15 को जारी की गई है। उस तिथी को उक्त खाद्य पदार्थ मानक अनुसार नही था। एफएसएसआई का नोटिस 22.12.15 का है, जो पूर्ववर्ती लिये गये नमूनो पर लागू नही माना जा सकता है।

5. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 173/एक्ट/2015/183 दिनांक 17.03.15 के अनुसार खाद्य पदार्थ टॉफी (Juzt Jelly Alpenliebe) Guava Flavour का नमूना सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। नमूना लेने की दिनांक को अकार्बनिक रंग को मिलाया जाना पाया गया है। जो विनियमन नियम 2011 के रेगुलेशन नं. 3.1.2 (3) का उल्लंघन होना प्रकट है। अतः अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 वासुदेव पुत्र ओमप्रकाश जाति माहेश्वरी निवासी जेठा मार्केट, नागौर, फर्म–बंग ब्रादर्स, जेठा मार्केट, नागौर पर रू. 20,000/– अक्षरे बीस हजार रू., अप्रार्थी सं. 2 मै. परफैटी वैन मिली इण्डिया प्रा.लि. Perfetti Van Mele India Pvt. Ltd., ई–419–रोड नं. 17, विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर पर रू. 1,00,000/– अक्षरे रू. एक लाख तथा अप्रार्थी सं. 3 मै. परफैटी वैन मिली इण्डिया प्रा.लि. Perfetti Van Mele India Pvt. Ltd., 47–माइलस्टोन दिल्ली–जयपुर हाईवे, मानेसर–गुडगांव (हरियाणा) पर संयुक्त रूप से 2,00,000/– अक्षरे रूपये दो लाख कुल रू. 3,20,000/– अक्षरे तीन लाख बीस हजार रू. शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

6. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर